**Un-starred Question No. 131 (Diary No. 14/18/166) to be held on 28.02.2024 regarding Action taken on complaint made by Sh. Neeraj Sharma, M.L.A., Faridabad NIT by the Chief Secretary office**

Unstarred :- Sh. Neeraj Sharma, M.L.A. :- Will the Chief Minister be pleased to

Q. No. 131 state :-

a). Whether it is a fact that a complaint against Smt. Neha Singh, Deputy Commissioner, Palwal has been given by Sh. Neeraj Sharma, MLA to the Chief Secretary to Government Haryana vide letter No. 702 dated 22.11.2023 and letter No. 729 on dated 11.12.2023; and

b). If so, the date on which such complaint has been received together with the action taken thereupon?

Answer :- Sh. Manohar Lal, Chief Minister

a) Sir, only the complaint dated 22.11.2023 has been so received.

b) Comments of the officer complained against were sought on 07.12.2023. Further, report of Divisional Commissioner, Faridabad was sought on 20.12.2023. The comments of the officer were received in the office of Chief Secretary on 08.01.2024 and these were sent to Divisional Commissioner, Faridabad on 24.01.2024 with a request to expedite his report.

**अतारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 131 दिनांक 28.02.2024 (डायरी संख्या 14/18/166) को पूछे जाने के लिए निश्चित श्री नीरज शर्मा, एम.एल.ए., फरीदाबाद एन.आई.टी. द्वारा की गई शिकायत पर कार्यालय मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में।**

अतारांकित विधान :- श्री नीरज शर्मा, विधायक :- क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि :-

सभा प्रश्न संख्या

131

क) क्या यह तथ्य है कि श्रीमती नेहा सिंह, उपायुक्त, पलवल के विरूद्ध एक शिकायत श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार को यादि पत्र क्रमांक 702 दिनांकित 22.11.2023 तथा पत्र क्रमांक 729 दिनांकित 11.12.2023 को दी गई थीः तथा

ख) यदि हां, तो यह शिकायत कब प्राप्त की गई तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई ?

उत्तर :- श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री:-

क ) महोदय, अभी शिकायत दिनांक 22.11.2023 ही प्राप्त हुई है।

ख) जिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की गई उस अधिकारी से दिनांक 07.12.2023 को टिप्पणी मांगी गई। इसके अलावा, दिनांक 20.12.2023 को मंडलायुक्त, फरीदाबाद की रिपोर्ट मांगी गई थी। दिनांक 08.01.2024 को मुख्य सचिव के कार्यालय में अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त हुई और उनकी टिप्पणी दिनांक 24.01.2024 को मंडलायुक्त, फरीदाबाद को भेजते हुए अनुरोध किया गया है कि रिपोर्ट शीघ्र भेजें।